यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई

(पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 46 / 2022
दायर दिनांक – 11.03.2022

उनवान

1. जगदीश पुत्र गणेश जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार निवाई
2. भगवान पुत्र रामानन्द जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक
3. रामबिलास पुत्र रामानन्द जाति जाट निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक
4. रामदयाल पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी जीवली तहसील निवाई जिला टोंक
5. बंशीलाल पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा निवासी जीवली तहसील निवाई जिला टोंक
6. कालुराम पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक
7. राजेन्द्र पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा निवासी सिरोही तहसील निवाई जिला टोंक

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से श्री हीरालाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री कजोडमल गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं0 2 लगायत 3 एवं 5 लगायत 7 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः– 10.05.2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की ग्राम श्रीगोपालपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 330 / 2 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के आस–पास के खातेदार जबरन प्रार्थी की कृषि भूमि को दबाने पर आमादा है। प्रार्थी की कृषि भूमि की मेर व डोल को तोड़ने फोड़ने पर आमादा रहते है। इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 ने पत्थरगढी करने बाबत अनापत्ति जाहिर की

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

एवं आदेशिका पर अनापत्ति अंकित की गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया जाकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु कथन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई। हमनें उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संम्वत 2071–74 खाता संख्या 56 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है। पडौसियान का विवाद करने का शपथ पत्र संलग्न है। प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं ग्राम श्रीगोपालपुरा पटवार मण्डल रामनगर धतूरी की आराजी खसरा नम्बर 330/2 रकबा 5 बीघा भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कमिश्नर फीस रू. 500/– वक्त पत्थरगढी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पत्थरगढी शुल्क की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार निवाई को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 10.05.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

10/5

(निलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned with CamScanner